उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 62वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 28.12.2020

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी–13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्सः 0522 4013560

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.2020 को सम्पन्न हुई 62वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष
2. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सदस्य/सचिव
3. श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा, अपर निदेशक कोषागार, वित्त विभाग उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
4. श्री अनिल कुमार, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
5. श्री राजेश कुमार पाण्डेय, अनु सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
6. श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, नगर नियोजक, आवास बन्धु (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
7. श्री एन0के0 आदर्श, अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम, लि0 कानपुर। (प्रतिनिधि प्रबन्ध निदेशक) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री अनिल कुमार पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री मनोज कुमार गुप्ता, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
4. श्री संदीप अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
5. श्री विश्व दीपक, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
6. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्यमहाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
7. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार (भू–अर्जन), यूपीडा।
8. श्री रवीन्द्र गोडबोले, नोडल अधिकारी (आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे), यूपीडा।
9. श्री के0के0 गुप्ता, वरिष्ठ सलाहकार (वित्तीय संस्थाए), यूपीडा।
10. श्री किशोर पाण्डेय, सलाहकार (प्रोक्योरमेन्ट सेल), यूपीडा।
11. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
12. श्री डी0पी0 सिंह, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
13. श्री दुर्गेश उपाध्याय, मीडिया सलाहकार, यूपीडा।
14. श्री शरद तिवारी, विधि सलाहकार, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 62वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:–

एजेण्डा बिन्दु–01:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.10.2020 को सम्पन्न हुई 61वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 61वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु–02:– उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.10.2020 को सम्पन्न 61वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही / निर्णय:– निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.12.2020 को सम्पन्न हुई 61वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–03:– बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंको से ऋण के माध्यम से वित्तपोषण विषयक प्रस्ताव।

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्यके लिए बैंकों के कन्सोर्शियम से वित्तीय व्यवस्था हेतु यूपीडा के निदेशक मंडल द्वारा 14 अक्तूबर 2019 को सम्पन्न बैठक में रु 7000.00 करोड़ की ऋण-राशि बैंकों से प्राप्त करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किया गया था। तत्क्रम में अब तक रु.5900.00 करोड़ के स्वीकृति पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा (रु. 2000.00 करोड़), इंडियन बैंक (रु. 1000.00 करोड़), बैंक ऑफ इंडिया (रु. 1000.00 करोड़), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (रु. 700.00 करोड़), बैंक ऑफ महाराष्ट्र (रु. 700.00 करोड़) तथा यूको बैंक (रु. 500.00 करोड़) से प्राप्त हुए थे। इन स्वीकृति पत्रों के आधार पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके अभी तक रु. 1250.00 करोड़ की ऋण-राशि का आहरण "बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु कर लिया गया है।इसी क्रम में केनरा बैंक ने अपने 05 नवंबर 2020 के स्वीकृति पत्र संदर्भ सं. LVK/2405/PROP/2/2020-21 के माध्यम से रु. 500.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति सूचित की है। केनरा बैंक की ऋण-संबंधी मुख्य शर्तें वही हैं जो कि कन्सोर्शियम के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसे शामिल करके स्वीकृत ऋण की कुल धनराशि रु.6400.00 करोड़ हो गई है।निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया कि केनरा बैंक के रु. 500.00 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्र को स्वीकार करके अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करने पर विचार करने का कष्ट करें।निदेशक मण्डल द्वारा केनरा बैंक के ऋण-स्वीकृति पत्र का अवलोकन करके सम्यक विचारोपरांत इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया :-

संकल्प /RESOLUTIONS:

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 03 placed before it in the meeting of the Boardheld on 28December 2020, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDAby Canara Bank for availing a loan of Rs 500.00 crore (Rupees Five Hundred Crore only) as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 7000.00 crore (Rupees Seven Thousand Crore only) from Bank of Baroda led Consortium of banks for Bundelkhand Expressway Project, on the terms and conditions as contained in their Sanction Letter dated 05 November 2020 (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Bundelkhand Expressway Project be and is hereby accepted."

b. " That the borrowing power of UPEIDA be enhanced by Rs 500.00 crore to enable UPEIDA to avail the loan from Canara Bank for Rs 500.00 crore (Rupees Five Hundred Crore only) as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 7000.00 crore (Rupees Seven Thousand Crore only) from Bank of Baroda led Consortium of banks for Bundelkhand Expressway Project and that the aforesaid borrowing from aforementioned bank is in accordance with the State Government Approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

c. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the Bank the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letter of the Bank and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and acceptable to the Bank from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Consortium led by Bank of Baroda and furnish to the Bank of Baroda Consortium such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Banks."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Consortium led by Bank of Baroda so as to include the Bank as a part of the Consortium led by Bank of Baroda."

f. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Letter / Deed of Undertakings to be given by UPEIDA as also any other document as required by the Bank / Consortium (as per the standard formats with such modifications / amendments as may be agreed to between Bank/ Consortium and UPEIDA)."

g. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

एजेण्डा बिन्दु–04:– **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु बैंकों से ऋण के माध्यम से वित्त पोषण :यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऋण स्वीकृति पत्र पर प्रस्ताव।**

कार्यवाही / निर्णय

निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि "गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु पूर्व में 18 सितंबर 2020 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में रू. 750.00 करोड़ की ऋण राशि पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त करने हेतु निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन किया गया था। इस स्वीकृति के आधार पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करके पंजाब नेशनल बैंक से अभी तक रु. 100.00 करोड़ की ऋण-राशि का आहरण "गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना" के सिविल निर्माण कार्य हेतु कर लिया गया है। इसी क्रम यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक औरयूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने भी क्रमशः रु. 250.00 करोड़, रु. 250.00 करोड़, रु. 500.00 करोड़,रु. 300.00 करोड़ और रु. 250.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति सूचित की है। इस प्रकार इन बैंकों ने कुल रु. 1550.00 करोड़ के ऋण की स्वीकृति सूचित की है। इन सभी बैंकों की ऋण-संबंधी मुख्य शर्तें वही हैं जो कि पूर्व में पंजाब नेशनल बैंक (कंसोर्शियम लीडर) द्वारा स्वीकृत की गई हैं। इसे शामिल करके उक्त-संदर्भित परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण की कुल धनराशि रु. 2300.00 करोड़ हो गई है। परंतु शासनादेश सं0 2099/77-3-20-101एम/20 दिनांक 01 अक्टूबर 2020 के प्रस्तर 2.i, 2.ii एवं 3.i में इंगित व्यवस्था के अनुसार प्रश्नगत परियोजना हेतु यूपीडा को अधिकतम रू. 2250.00 करोड़ का ऋण प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में सकल ऋण राशि रू. 2250.00 करोड़ तक सीमित करने के लिए सबसे बाद में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त स्वीकृति पत्र के परिप्रेक्ष्य में यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया से प्राप्त होने वाली ऋण राशि को रू0 200.00 करोड़ तक सीमित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया कि यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के कुल रु. 1500.00 करोड़ के ऋण स्वीकृति पत्रों को स्वीकार करके अग्रिम कार्रवाई हेतु यूपीडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिकृत करने पर विचार करने का कष्ट करें। तदनुसार इन पाँच बैंकों के रन-स्वीकृति पत्र की प्रति निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित की गई एवं सम्यक विचारोपरांत कुल रु. 1500.00 करोड़ के इस ऋण हेतु अग्रिम प्रक्रिया के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारी को अधिकृत करते हुए निम्नवत् संकल्प पारित किया गया:-

संकल्प(Resolutions):-

"Board of Directors of UPEIDA, having perused the Agenda Note No. 04 placed before it in the meeting of the Boardheld on 28December 2020, approved and passed the following Resolutions:-

a. "That the offer to UPEIDAbyUCO Bank, Bank of Maharashtra, Bank of India, Canara Bank and Union Bank of India, for availing a loan of Rs1500.00 crore, as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 2250.00 crore from Punjab National Bankled Consortium of Banks for Gorakhpur Link Expressway Project, on the terms and conditions as contained in their Sanction Letters dated 06 October 2020, 04 November2020,02 December 2020, 14 September 2020 (read with their letter dated 01 December 2020) and 04 December 2020 respectively (copies of which duly signed by the Chief Executive Officer and Chairman of the Board, for the purpose of identification, have been circulated as a part of agenda placed before the Board) for the purpose of the civil construction work of Gorakhpur Link Expressway Projectbe and is hereby accepted."

b. "That the borrowing power of UPEIDAbe enhanced by Rs 1500.00 crore to enable UPEIDA to avail the loan from UCO Bank, Bank of Maharashtra, Bank of India, Canara Bank and Union Bank of India for Rs 250.00 crore, Rs 250.00 crore, Rs 500.00 crore, Rs 300.00 crore and Rs 200.00 crore respectively as a part of the Consortium Loan not exceeding Rs 2250.00 crore from Punjab National Bank led Consortium of Banks for Gorakhpur Link Expressway Project and that the aforesaid borrowing from aforementioned Banks is in accordance with the State Government approvals and does not contravene any provisions of The Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 or any limitations imposed under any regulation(s)."

c. "That the Chief Executive Officer, be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to convey to the banks the acceptance of the said offer of loan on the terms and conditions contained in the above-referred loan sanction letters and agree to such changes and modifications in the said terms and conditions as may be suggested by and beacceptable to the banks / Punjab National Bank led Consortium of Banks from time to time provided the same are in conformance within the overall approvals of the State Government, and execute such deeds, documents and other writings as may be necessary or required for this purpose."

d. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute the Loan Agreement as finalised by the Punjab National Bank led Consortium and furnish to the banks / Consortium such securities as stipulated therein relating to the above-mentioned loan within the period stipulated by the Bank."

e. "That the Chief Executive Officer be and is hereby authorised on behalf of UPEIDA, to execute any other document as required by the Punjab National Bank led Consortium so as to include the aforementioned banks as a part of the Consortium led by Punjab National Bank."

f. "It is further resolved to authorise the Chief Executive Officer of UPEIDA to approach the Government of Uttar Pradesh for various approvals needed from the State Government in fulfilment of the requirements of complying with the terms and conditions of the aforesaid Loan and, in accordance with the Government approvals so accorded, place the matter for Board's resolution from time to time as may be necessary."

<u>एजेण्डा बिन्दु–05:–</u> <u>उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का कियान्वयन।</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> निदेशक मण्डल को सूचित किया गया किउत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत शासनादेश सं. 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26 नवंबर 2020 जारी किया गया है।निदेशक मण्डल द्वारा एजेंडा नोट में वर्णित इस शासनादेश के विभिन्न कार्य बिन्दुओं तथा उन पर अब तक यूपीडा द्वारा कृत कार्यवाही को संज्ञान में लिया गयातथा तदनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को अग्रगामी कार्रवाई हेतु अधिकृत किया गया। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने हेतु आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल के मुद्रीकरण के संबंध में प्रक्रियात्मक / परिचालनात्मक एवं नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु इसी शासनादेश के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च-स्तरीय शासकीय समिति की 11 दिसंबर 2020 को सम्पन्न बैठक में मुद्रीकरण हेतुयूपीडा द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषितकरने हेतु लिए गए निर्णयों के संबंध में शासन द्वारा जारी बैठक के कार्यवृत्त को भी संज्ञान में लिया गया। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संबंध में समय समय पर हुई प्रगति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया जाएगा एवं विषयान्तर्गत यथावश्यक अनुमोदन समय समय पर प्राप्त किए जाएंगे।

एजेण्डा बिन्दु–06:– **RENEWAL OF ENGAGEMENT OF CONSULTANTS FOR UP DEFENCE INDUSTRIAL CORRIDOR.**

KPMG Consultants were given contract for one year from 01 January 2020 to 31 December 2020 for provision of work with Defence Corridor Project as per scope specified.

On termination of their contract on 31 Dec 2020, considering ongoing requirement of the project it is proposed to extend contract period for six months with effect from 01 January 2021 to 30 June 2020.

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–07:– **पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' के पैकेज-5 के अन्तर्गत जनपद-सुलतानपुर अम्बेडकर नगर व आजमगढ़ में भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' मे (1) 'एडवान्स ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम' (ए0टी0एम0एस0) को ईपीसी पद्धति पर लगाने हेतु एजेन्सी के चयन किये जाने तथा (2) 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु परामर्शी को नियुक्त करने हेतु ड्राफ्ट 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' पर यूपीडा के निदेशक मण्डल के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही/निर्णय — 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' में (1) 'एडवान्स ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम' (ए0टी0एम0एस0) को ईपीसी पद्धति पर लगाने हेतु एजेन्सी के चयन किये जाने तथा (2) 'बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना' पर वाहनों से टोल फीस की वसूली तथा टोल प्लाजा के संचालन तथा रख–रखाव हेतु एजेन्सी के चयन किये जाने हेतु परामर्शी को नियुक्त करने हेतु ड्राफ्ट 'टर्म्स ऑफ रेफरेन्स' पर यूपीडा के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–09:– **अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का अनुमोदन।**

1. संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा विस्तार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना:–

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर संविदा पर कार्यरत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों का प्राधिकरण के कार्यहित में सेवाओं की सम्बन्धित कार्मिकों की यूपीडा में आवश आकलन के उपरान्त सम्बन्धित के पर्यवेक्षक अधिकारियों की संस्तुति के आधार पर सेवा विस्तार किया है, जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक में प्राप्त किया जाना है:–

क्र0 सं0	नाम अधिकारी/ कर्मचारी	पदनाम	पूर्व नियुक्ति समाप्त की तिथि	सेवा विस्तार अवधि	सेवा विस्तार की अन्तिम तिथि	यूपीडा आदेश संख्या/तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	श्री विश्व दीपक	मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल)	20.11.2020	06 माह	20.05.2021	सं0–12566/यूपीडा/1520/19/अधि दिनांक 27.10.2020
2.	श्री मनोहर सिह यादव	सुरक्षा अधिकारी	30.10.2020	06 माह	30.04.2021	सं0–12568/यूपीडा/1086/18/अधि दिनांक 28.10.2020
3.	श्री हशमत उल्ला सिद्दीकी	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12567/यूपीडा/1555/19/अधि दिनांक 28.10.2020
4.	श्री निर्मल दास यादव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12609/यूपीडा/1553/19/अधि दिनांक 29.10.2020
5.	श्री किशोर कुमार पाण्डेय	प्रबन्धक (वित्त)	24.10.2020	01 वर्ष	30.10.2021	सं0–12658/यूपीडा/180/12/अधि0 दिनांक 03.11.2020
6.	श्री राम किंकर त्रिपाठी	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12721/यूपीडा/1544/19/अधि दिनांक 05.11.2020

7	श्री निर्मल राम नागर	अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत)	11.10.2020	06 माह	11.04.2021	सं0–12817 / यूपीडा / 828 / 18 / अधि0 दिनांक 10.11.2020
8.	श्री राजेश मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12962 / यूपीडा / 1539 / 19 / अधि0 दिनांक 19.11.2020
9.	श्री सर्वेश कटियार	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12959 / यूपीडा / 1540 / 19 / अधि0 दिनांक 19.11.2020
10.	श्री अरविन्द कुमार राजपूत	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12960 / यूपीडा / 1550 / 19 / अधि0 दिनांक 19.11.2020
11.	श्री विनीत प्रकाश ओझा	सहायक (विधि)	13.11.2020	06 माह	13.05.2021	सं0–12958 / यूपीडा / 347 / 14 / अधि0 दिनांक 19.11.2020
12.	श्री राजेश मोहन गुप्ता	महाप्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12962 / यूपीडा / 1539 / 19 / अधि0 दिनांक 19.11.2020
13.	श्री शिवा नन्द सिंह	प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–12961 / यूपीडा / 1543 / 19 / अधि0 दिनांक 19.11.2020
14.	श्री राम चन्द्र	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–13098 / यूपीडा / 1554 / 19 / अधि0 दिनांक 25.11.2020
15.	श्री भोला नाथ यादव	डाक रनर	28.11.2020	06 माह	28.05.2021	सं0–13119 / यूपीडा / 467 / 15 / अधि0 दिनांक 27.11.2020
16.	श्री उमेश प्रकाश श्रीवास्तव	सहायक प्रबन्धक (सिविल)	19.11.2020	06 माह	19.05.2021	सं0–13114 / यूपीडा / 1538 / 19 / अधि0 दिनांक 27.11.2020
17.	श्री चुनकू राम पटेल	विशेष कार्याधिकारी (भू–अर्जन)	03.12.2020	06 माह	03.06.2021	सं0–13344 / यूपीडा / 1129 / 18 / अधि0 दिनांक 08.12.2020
18.	श्री राम मूर्ति	निजी सचिव	02.12.2020	03 माह	02.03.2021	सं0–13340 / यूपीडा / 1109 / 18 / अधि0 दिनांक 08.12.2020
19.	श्री भागीरथ शुक्ला	वरिष्ठ सहायक (डिफेन्स कॉरीडोर)	18.12.2020	06 माह	18.06.2021	सं0–13342 / यूपीडा / 1469 / 19 / अधि0 दिनांक 08.12.2020
20.	श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06.12.2020	06 माह	06.06.2021	सं0–13416 / यूपीडा / 1315 / 19 / अधि0 दिनांक 09.12.2020
21.	श्रीमती कंचन तिवारी	आडिटर / लेखाकार	12.01.2021	06 माह	12.07.2021	सं0–13425 / यूपीडा / 503 / 15 / अधि0 दिनांक 10.12.2020
22.	श्री दिनेश चन्द्र सक्सेना	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	30.12.2020	06 माह	30.06.2021	सं0–13437 / यूपीडा / 247 / 14 / अधि0 दिनांक 11.12.2020
23.	श्री चन्द्र कुमार संगवानी	सहायक प्रबन्धक (आडिट)	23.12.2020	06 माह	23.06.2021	सं0–13438 / यूपीडा / 1582 / 19 / अधि0 दिनांक 11.12.2020
24.	श्री अंकित भारद्वाज	सहायक प्रबन्धक (वित्त)	25.12.2020	06 माह	25.06.2021	सं0–13441 / यूपीडा / 747 / 17 / अधि0 दिनांक 11.12.2020
25.	श्री विजय कुमार चतुर्वेदी	निजी सचिव	30.12.2020	06 माह	30.06.2021	सं0–13515 / यूपीडा / 568 / 16 / अधि0 दिनांक 15.12.2020
26.	श्री शरद तिवारी	विधिक सलाहकार	09.01.2021	06 माह	09.07.2021	सं0–13547 / यूपीडा / 833 / 18 / अधि0 दिनांक 16.12.2020

2. यूपीडा में तैनात (संविदा) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवाओं की यूपीडा में आवश्यकता आकलन एवं आवश्यकता न पाये जाने पर निम्नलिखित अधिकारियों की संविदा सेवायें उक्त तिथि से समाप्त की गयी है। जिसका अनुमोदन निदेशक मण्डल की बोर्ड बैठक दिनांक 28.12.2020 में किया जाना है।

क्र0 स0	अधिकारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति अवधि	सेवा समाप्ति की तिथि	सेवा समाप्ति आदेश संख्या
1	श्री राम चन्द्र राना	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	11.12.2020	सं0–13572 / यूपीडा / 1225 / 19 / अधि0 दिनांक 16.12.2020
2	श्री मोहर सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	12.12.2020	सं0–13573 / यूपीडा / 1873 / 20 / अधि0 दिनांक 16.12.2020

3. यूपीडा में संचालित विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकता के दृष्टिगत मुख्य कार्यपालक अधिकारी को नियुक्ति के यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन के आधार पर प्रतिनियुक्ति/ संविदा पर यूपीडा मुख्यालय के कार्यो को सम्पादित किये जाने हेतु नियुक्तियाँ की गयी, जिनका अनुमोदन निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.2020 को बोर्ड की बैठक में प्राप्त किया जाना है। जिनका विवरण निम्नवत् है:—

क्र0 स0	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पदनाम	नियुक्ति अवधि	कार्यभार ग्रहण की तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या / तिथि
1	श्री कमल कुमार	सलाहकार वित्तीय (संस्थाएँ)	06 माह		सं0–11974 / यूपीडा / 1802 / 20 / अधि0 दिनांक 29.09.2020
2	श्री अरूण कुमार कपूर	सलाहकार वित्तीय (संस्थाएँ)	06 माह		सं0–11974 / यूपीडा / 1802 / 20 / अधि0 दिनांक 29.09.2020
3	श्री के0के0अस्थाना	वरिष्ठ प्रबन्धक (वास्तुविद)	06 माह	24.11.2020	सं0–13068 / यूपीडा / 1885 / 20 / अधि0 दिनांक 24.11.2020
4.	श्री अली शेर खाँ	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	29.11.2020	सं0–13082 / यूपीडा / 1889 / 20 / अधि0 दिनांक 25.11.2020
5	सुश्री ऋचा मिश्रा	विधि सलाहकार	06 माह	09.12.2020	सं0–13388 / यूपीडा / 1949 / 20 / अधि0 दिनांक 09.12.2020
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह	10.12.2020	सं0–13508 / यूपीडा / 1945 / 20 / अधि0 दिनांक 14.12.2020
7.	श्री ओम प्रकाश सिंह	सहायक सुरक्षा अधिकारी	06 माह		सं0–13507 / यूपीडा / 1946 / 20 / अधि0 दिनांक 14.12.2020
8	श्री राज कुमार मिश्रा	प्रबन्धक (सिविल)	–	16.12.2020	सं0–13448 / यूपीडा / 1408 / 19 / अधि0 दिनांक 16.12.2020

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>एजेण्डा बिन्दु–10:–</u> — <u>मा0 उच्च न्यायालय एवं उच्चतम् न्यायालय में प्रचलित वादों के विवरण अद्यतन स्थिति दिनांक 22.12.2020 तक संलग्न 1 पर स्थापित एवं यूपीडा में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वादों के संक्षिप्त विवरण:–</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

<u>एजेण्डा बिन्दु–11:–</u> — <u>आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर **Design, Development, Testing and Development of Time based Speed Detection and Enforcement** के मेसर्स वान इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वयन के विरूद्ध मेसर्स वान इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को रू0 19,23,950/– (**GST** रहित) के भुगतान का **Ex-Post Facto Order** निर्गत करने के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>

<u>कार्यवाही / निर्णय</u> — आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर Design, Development, Testing and Development of Time based Speed Detection and Enforcement के मेसर्स वान इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वयन के विरूद्ध मेसर्स वान इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड को रू0 19,23,950/– (GST रहित) के भुगतान का Ex-Post Facto Order निर्गत करने पर चर्चा की गई। वित्त विभाग के प्रतिनिधि द्वारा यह बिन्दु उठाया गया कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों के चालन से वित्तीय लाभ ट्रांसपोर्ट विभाग को होगा। जबकि ए0टी0एम0एस0 साफ्टवेयर में सुधार एवं विकास का भुगतान यूपीडा को करना पड़ रहा है। उक्त पर मुख्य महाप्रबन्धक द्वारा स्पष्ट किया गया कि चालान का अधिकारी यूपीडा को नहीं है एवं ए0टी0एम0एस0 सिस्टम यूपीडा को संयोजित कराया गया है। अतः साफ्टवेयर में विकास हेतु परियोजना के चेंज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाना उचित होगा। प्रस्ताव से अवगत होते हुये चर्चा उपरान्त आम सहमति से प्रस्ताव को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–12:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में।**

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के पैकेज–05 के कॉन्ट्रैक्टर (लारसन एण्ड टूब्रो) द्वारा आरबिट्रल पैनल में विवादित भुगतान दावों विषयक वाद के सम्बन्ध में आरबिट्रल पैनल द्वारा Procedural Order No.-03 dt. 15.07.2020 के माध्यम से यूपीडा को दिनांक 30.09.2020 तक Statement of Defence दाखिल करने के निर्देश देते हुये प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.11.2020 को निर्धारित की गई थी। यूपीडा के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.07.2020 को सम्पन्न 58वीं बैठक में निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया कि आरबिट्रल पैनल द्वारा Procedural Order No.-03 dt. 15.07.2020 के माध्यम से यूपीडा को दिनांक 30.09.2020 तक Statement of Defence दाखिल करने के निर्देश देते हुए प्रकरण में अगली सुनवाई की तिथि दिनांक 10.11.2020 को निर्धारित की गई है। इस पर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय ने निर्देश दिये कि, प्रशासनिक विभाग को एल0 एण्ड टी0 के क्लेम के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए यह अनुरोध कर लिया जाये कि इस सम्बन्ध में न्याय विभाग के साथ एक बैठक कर ली जाये। यूपीडा की अधिवक्ता श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी द्वारा Statement of Defence दाखिल करने हेतु छः सप्ताह की समयवृद्धि के आवेदन पर आरबिट्रल पैनल द्वारा Procedural Order No.-04 dt. 27.09.2020 के माध्यम से यूपीडा को दिनांक 30.10.2020 तक Statement of Defence दाखिल करने के निर्देश दिये गये। उक्त पर यूपीडा की अधिवक्ता श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी द्वारा ई0–मेल दिनांक 28.10.2020 के माध्यम से आरबिट्रल पैनल के समक्ष Statement of Defence दाखिल करने हेतु पांच सप्ताह की समयवृद्धि के आवेदन किया गया था, जिस पर आरबिट्रल पैनल द्वारा Procedural Order No. -05 dt. 02.11.2020 के माध्यम से यूपीडा को दिनांक 30.11.2020 तक Statement of Defence दाखिल करने के निर्देश दिये गये थे।

कार्यवाही / निर्णय उक्त पर यूपीडा की अधिवक्ता श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी द्वारा ई0–मेल दिनांक 30.11.2020 के माध्यम से आरबिट्रल पैनल के समक्ष निम्न विवरण के अनुसार Statement of Defence दाखिल कर दिया गया है। उपरोक्त तथ्यात्मक विवरण का संज्ञान लेते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही पर संस्तुति व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–13:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति।**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की अद्यतन प्रगति अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–14:– **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में।**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–15:– **प्रदेश में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हेतु कार्ययोजना।**

कार्यवाही / निर्णय निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

एजेण्डा बिन्दु–16:– **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के परियोजना विकास परामर्शी को समयवृद्धि प्रदान किये जाने हेतु निदेशक मण्डल का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुये परियोजना विकास परामर्शी को एक्टिविटीज पूर्ण करने हेतु अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित तिथि 19.05.2020 से 06 महीने की समयवृद्धि प्रदान करते हुए दिनांक 19.11.2020 तक समयवृद्धि प्रदान करने हेतु निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

671

एजेण्डा बिन्दु–17:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथारिटी(यूपीडा) का आय व्ययक।**

अवगत कराना है कि सम्प्रति यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं का समयबद्ध विकसित/क्रियान्वित/पूर्ण करने हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा स्वीकृति/आवंटित बजट धनराशि का परियोजना के पक्ष मे उपयोग/व्ययक विवरण के सम्बन्ध मे।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये आय–व्ययक अनुमान के सापेक्ष शासन द्वारा प्राविधानित आय–व्ययक सारभूत रूप मे निम्नवत् है:–

(धनराशि करोड़ मे)

	योजना का नाम	बजट प्राविधान		शासन स्तर/ वित्त संस्थाओ से जारी स्वीकृति	व्यय कुल	टिप्पणी
1	2	3		4	5	6
A	आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड) परियोजना	अनुदान संख्या–7	160.00	124.37	119.37	
	योग		160.00	124.37	119.37	
B	पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	1400.00	350.00	350.00	
				525.00	250.00	
	पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण	ऋण	2050.00	2050.00	2050.00	
	योग		3450.00	2925.00	2650.00	
C	यूपीडा द्वारा पूर्वांचल एक्प्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	589.52	237.90	208.00	
	योग		589.52	237.90	208.00	
D	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	निर्माण कार्य	176.00	176.00	176.00	
		भूमि कय	498.88	498.88	498.88	
	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण	ऋण	100.00	100.00	97.00	
	योग		774.88	774.88	771.88	
E	यूपीडा द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	36.35	1.48	0.20	
			36.35	1.48	0.20	
F	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	750.00	400.00	400.00	
				175.00	167.00	
	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओं से लिये गये ऋण	ऋण	1250.00	1250.00	1250.00	
	योग		2000.00	1825.00	1817.00	
G	यूपीडा द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु वित्त संस्थाओ से लिये गये ऋण पर देय व्याज हेतु सहायता–समान्य (गैर वेतन)	अनुदान संख्या–7	155.07	33.95	21.05	
	योग		155.07	33.95	21.05	
H	बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कारीडोर परियोजना	अनुदान संख्या–7	150.00	0.00	0.00	
	योग		150.00	0.00	0.00	
I	गगा एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	2000.00	515.19	515.19	
	योग		2000.00	515.19	515.19	
J	बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना	अनुदान संख्या–7	200.00	200.00	200.00	
	योग		200.00	200.00	200.00	
K	गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनो ओर जनपद गोरखपुर मे औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु	अनुदान संख्या–7	200.00	0.00	0.00	
	योग		200.00	0.00	0.00	
	महायोग		9515.82	6637.77	6302.69	

कार्यवाही/निर्णय निदेशक मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत होते हुये संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु–18:– **उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का क्रियान्वयन : आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के मुद्रीकरण हेतु वित्तीयट्रांजेक्शन परामर्शी एजेन्सी हेतु कार्य बिन्दु (स्कोप ऑफ वर्क) के विषय में।**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल को सूचित किया गया कि आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पथकर-राजस्व के मुद्रीकरण के संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा एक प्रस्ताव दिनांक 23 जून 2020 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया गया था। तदनुसार विस्तृत प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। इस क्रम में शासन द्वारा एक विस्तृत प्रस्ताव की अपेक्षा की गई थी, जिसके लिए एक प्रस्ताव पुनः निदेशक मण्डल द्वारा 29 अक्तूबर 2020 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदित किया गया था। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के कार्यान्वयन से संबन्धित विस्तृत सकल प्रस्ताव पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए शासनादेश सं. 2598/77-3-20-21 एम/19 दिनांक 26 नवंबर 2020 जारी किया गया है जिसमें आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पथकर-राजस्व के मुद्रीकरण के संबंध में निम्नवत व्यवस्था दी गई है:-

"परियोजना हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए आगरा – लखनऊ एक्सप्रेसवे के टॉल का मोनिटाइजेशन (मुद्रीकरण) किया जाए और इसके लिए N.H.A.I. में प्रचलित निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।"

2. इसी शासनादेश के माध्यम से शासन द्वारामुद्रीकरणके संबंध में प्रक्रियात्मक एवं परिचालनात्मक नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्तसमिति का गठन किया गया था; इस समिति की प्रथम बैठक दिनांक को सम्पन्न हुई 2020 दिसंबर 11, जिसमें समिति द्वारा लिए गए निर्णय बैठक के कार्यवृत्त के रूप में शासन के पत्रांक)21-20-3-77/2799एम 19/(टीके माध्यम से निर्गत किए गए हैं .सी., जिसकी एक प्रति निदेशक मण्डल की सूचनार्थ एक अलग एजेंडा नोट में प्रस्तुत है। इन निर्णयों के एक अंग के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय ट्रांजेक्शन परामर्शी एजेन्सी के चयन हेतुभी प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि ट्रांजेक्शन परामर्शी के कार्य हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस N.H.A.I. में प्रचलितटर्म्स ऑफ रेफरेंस के अनुरूप होंगे।

3. तदनुसार एन.एच.ए.आई. द्वारा टी के आधार पर .टी.ओ.मुद्रीकरणहेतु ट्रांजेक्शन परामर्शी के चयन के संबंध में दिनांक 28 के अनुरूप .पी.एफ.को जारी किए गए आर 2018 फरवरीआगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पथकरराजस्व के मुद्रीकरण के - निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव एवं उसका प्रारूप निदेशक मण्डल के (स्कोप ऑफ सर्विसेस) संबंध मेंटर्म्स ऑफ रेफरेंस स्तुत किया गया था। निदेशक मण्डल नेअनुमोदनार्थ प्रवित्तीय ट्रांजेक्शन परामर्शी एजेन्सी हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्कोप ऑफ) (सर्विसेस के संबंध में सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा को वित्तीय ट्रांजेक्शन परामर्शी एजेन्सी के चयनविषयांतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के जनपद अमेठी के ऊंचगॉव के आबादी के सन्निकट स्थित गाटों का विवरण, क्रय दर व भूमि मूल्य का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–02:– **यूपीडा के अन्तर्गत मुख्यालय एवं विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के पी0आई0यू0 कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवा की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित किये जाने तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात संविदा पर कार्य करने हेतु वर्ष में एक बार पंजीकृत चिकित्सक से शारीरिक एवं मानसिक रूप में स्वस्थ होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर संविदा सेवा बढ़ाये जाने के निर्णय का अनुमोदन।**

कार्यवाही / निर्णय — यूपीडा के अन्तर्गत मुख्यालय एवं विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के पी0आई0यू0 कार्यालयों में संविदा के आधार पर सेवा की अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित किये जाने तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात संविदा पर कार्य करने हेतु वर्ष में एक बार पंजीकृत चिकित्सक से शारीरिक एवं मानसिक रूप में स्वस्थ होने का चिकित्सा प्रमाण पत्र

प्राप्त कर संविदा सेवा बढाये जाने के निर्णय के प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि प्रस्ताव अनुसार 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी को एक Self Assessment प्रपत्र देना होगा। जिस पर सम्बन्धित के प्रभारी अधिकारी द्वारा यह टीप अंकित करनी होगी की विभागीय कार्यहित में सम्बन्धित कर्मी की संविदा अवधि बढाये जाने का क्या औचित्य है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर ही सेवा विस्तार पर विचार किया जायेगा। उपरोक्त प्रस्ताव से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–03:–</u>	<u>पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के अन्तर्गत जनपद–सुल्तानपुर में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के अनुमोदन के सम्बन्ध में।</u>
<u>कार्यवाही/निर्णय</u>	निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।
<u>अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–04:–</u>	<u>गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज–2 के अन्तर्गत जनपद–अम्बेडकर नगर में अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में।</u>
<u>कार्यवाही/निर्णय</u>	निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा सदस्यों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे की प्रगति से अवगत कराया गया साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे परियोजना का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कराने हेतु सार्थक प्रयास करेंगे। इसी कम में उन्होंने श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार भू–अर्जन को निर्देशित किया कि वे अपने पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग द्वारा चलाये जा रहें। नामान्त्रण अभियान के अन्तर्गत यूपीडा द्वारा कय की गई, विभिन्न एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की भूमि का यूपीडा के पक्ष में करवाने की कार्यवाही पूर्ण कराये।

अंत में उप मुख्य कर्यपालक अधिकारी द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 28.12.2020 को सम्पन्न हुई 62वीं बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं अध्यक्ष निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.12.2020 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी